सत्यमेव जयते

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राह-वीर योजना के दिशानिर्देश

(पूर्ववर्ती गुड समेरिटन योजना)

क्या आप जानते हैं?

यदि दुर्घटना होने पर पहले घंटे में ही चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाए, तो आधी मौतों को टाला जा सकता है!

ForRoadSafety ForRoadSafety MORTHRoadSafety

राह-वीर (गुड समेरिटन) कौन है?

राह-वीर (गुड समेरिटन) वह व्यक्ति होता है, जो सदभावनापूर्वक, स्वेच्छा से तथा बिना किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के, दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है।

गुड समेरिटन कानून की आवश्यकता क्यों है?

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में दुर्भाग्य से अत्याधिक संख्या में मौत होती है। देश में चार में से तीन लोग पुलिस के उत्पीड़न, अस्पतालों में रोके रखने और लंबी कानूनी औपचारिकताओं के भय से सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करने से हिचकिचाते हैं। अगर कोई मदद करना भी चाहे, तो ये कारक उसे ऐसा करने से रोकते हैं।

पिछले दस वर्षों में, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 15 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। भारतीय विधि आयोग की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 50% पीड़ितों को मृत्यु से बचाया जा सकता है अगर उनको समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। पीड़ित को आपातकालीन देखभाल प्रदान करने में दुर्घटना स्थल पर उपस्थित लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर भी, भारत में, दुर्घटना स्थल पर उपस्थित लोग कानूनी पचड़ों और प्रक्रियात्मक झंझटों के डर से घायलों की मदद करने से हिचकिचाते हैं।

गुड सेमेरिटन कानून राह-वीर को सड़
लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई

गुड समेरिटन कानून क्या है?

राह-वीर (गुड समेरिटन) की सुरक्षा के लिए, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019, जिसे अगस्त, 2019 में लागू किया गया है, द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 में एक नई धारा 134क जोड़ी गई है। धारा 134क में राह-वीर (गुड समेरिटन) को सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।

(1) राह-वीर (गुड समेरिटन) मोटर वाहन से संबंधित दुर्घटना के पीड़ित को हुई किसी भी चोट या मृत्यु के लिए किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहां ऐसी चोट या मृत्यु गुड सेमेरिटन द्वारा आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते समय कार्य करने में लापरवाही या कार्य करने में विफलता के कारण हुई हो।

(2) केन्द्र सरकार नियमों द्वारा राह-वीर (गुड समेरिटन) से पूछताछ या जांच करने, गुड समेरिटन की व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने और ऐसे अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया का प्रावधान कर सकती है।

गुड समेरिटन नियमावली:

केंद्र सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत सा.का.नि. 594(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2020 के माध्यम से राह-वीर (गुड समेरिटन) की सुरक्षा के लिए नियम 168: गुड समेरिटन के अधिकार और नियम 169: राह-वीर (गुड समेरिटन) की जांच को भी अधिसूचित किया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 मंत्रालय की वेबसाइट www.morth.nic.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

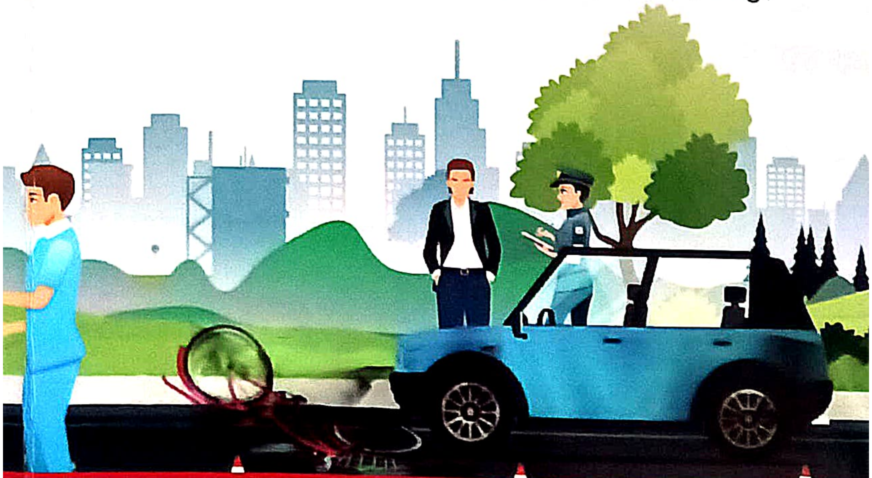

ड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने के
ई पर होने वाले उत्पीड़न से बचाता है।

राह-वीर योजना:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राह-वीर (गुड समेरिटन) को पुरस्कार प्रदान करने की अपनी पूर्ववर्ती योजना को संशोधित किया है और इसका नाम बदलकर राह-वीर योजना कर दिया है, जिसने मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद के महत्वपूर्ण समय (गोल्डन ऑवर) के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो।

उद्देश्य:

आम जनता को "नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र के माध्यम से" आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, इसके साथ ही सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की जान बचाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित करना।

पात्रता:

कोई भी व्यक्ति जिसने मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा उपचार प्रदान करके उसकी जान बचाई हो।"

मुख्य परिभाषाएं:

- **गोल्डन ऑवर:**

  मोटर यान अधिनियम की धारा 2 (12क) के अनुसार "गोल्डन ऑवर" का तात्पर्य किसी गंभीर चोट के बाद एक घंटे की वह अवधि, जिसके दौरान शीघ्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करके जीवन बचाने की सबसे अधिक संभावना होती है।

- **गंभीर दुर्घटना:**

  मोटर वाहन से जुड़ी कोई भी सड़क दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को उपचार के दौरान निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति उत्पन्न हुई हो और अस्पताल द्वारा मृत्यु / गंभीर स्थिति का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

  - बड़ी सर्जरी होना
  - कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहना
  - मस्तिष्क की चोटें
  - रीढ़ की हड्डी की चोटें
  - उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु

वित्तीय सहायता (पुरस्कार के रूप में)

- प्रत्येक राह-वीर (गुड समेरिटन) के लिए पुरस्कार राशि प्रति घटना 25,000/- रुपये होगी, जो निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगी:
  - यदि एक राह-वीर (गुड समेरिटन) मोटर वाहन से जुड़ी एक गंभीर दुर्घटना में एक या अधिक पीड़ितों की जान बचाता है, तो पुरस्कार राशि 25,000/- रुपये मात्र होगी।
  - यदि एक से अधिक राह-वीर (गुड समेरिटन) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना में एक पीड़ित की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार राशि अर्थात 25,000/- रुपये उनके बीच बराबर- बराबर बाँटी जाएगी।
  - यदि एक से अधिक राह-वीर (गुड समेरिटन) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना में एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार राशि प्रति बचाए गए पीड़ित व्यक्ति के लिए 25,000/- रुपये होगी, जो प्रति राह-वीर (गुड समेरिटन) अधिकतम 25,000/- रुपये होगी।
- प्रत्येक पुरस्कार के साथ एक "सराहना प्रमाण पत्र" प्रदान किया जाएगा।
- व्यक्तिगत मामलों में पुरस्कार के अतिरिक्त, सर्वाधिक योग्य राह-वीरों (गुड समेरिटन) (जिनका चयन पूरे वर्ष के दौरान सम्मानित किए गए लोगों में से किया जाएगा) के लिए प्रतिवर्ष 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाएँगे और प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

राह-वीर (गुड समेरिटन) बनें:

गुड समेरिटन कानून के अनुसार, अस्पताल/पुलिस स्टेशन राह-वीर (गुड समेरिटन) को अनावश्यक रूप से रोक कर नहीं रख सकते।

घायल होने के पहले महत्वपूर्ण घंटे यानी 'गोल्डन ऑवर' में पीड़ित के बचने की संभावना बढ़ाने के लिए आसपास के लोगों की सहायता ज़रूरी है।

चयन प्रक्रिया

मामला 1: यदि घटना की सूचना सबसे पहले राह-वीर (गुड समेरिटन) द्वारा पुलिस को दी जाती है:

- डॉक्टर से विवरण सत्यापित कराने के बाद, पुलिस ऐसे राह-वीर (गुड समेरिटन) को आधिकारिक पत्र पर एक पावती देगी, जिसमें राह-वीर (गुड समेरिटन) का नाम, उसका मोबाइल नंबर और पता, घटना स्थल, दिनांक और समय तथा राह-वीर (गुड समेरिटन) ने पीड़ित की जान बचाने में कैसे मदद की, आदि का उल्लेख होगा।
- पावती की एक प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति (जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में) को भेजी जाएगी; जिसकी एक प्रति राह-वीर (गुड समेरिटन) को भी भेजी जाएगी।

मामला 2: यदि राह-वीर (गुड समेरिटन) पीड़ित को सीधे अस्पताल ले जाता है:

- संबंधित अस्पताल संबंधित पुलिस थाने को सभी विवरण उपलब्ध कराएगा।
- पुलिस ऐसे राह-वीर (गुड समेरिटन) को आधिकारिक पत्र पर एक पावती देगी, जिसमें राह-वीर (गुड समेरिटन) का नाम, उसका मोबाइल नंबर और पता, घटना स्थल, दिनांक और समय, पीड़ित की जान बचाने में राह-वीर (गुड समेरिटन) ने किस प्रकार मदद की, आदि का उल्लेख होगा।
- पावती की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने द्वारा जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति (जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में) को भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति राह-वीर (गुड समेरिटन) को भी भेजी जाएगी।

- जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) और आरटीओ शामिल होंगे।
- प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिसमें सचिव (स्वास्थ्य) और एडीजीपी (यातायात और आरएस) सदस्य होंगे और आयुक्त (परिवहन) सदस्य सचिव होंगे, द्वारा योजना के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्रैमासिक बैठकें की जाएंगी।
- पुलिस स्टेशन/ अस्पताल से संसूचना प्राप्त होने पर, जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी। यह सूची आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए परिवहन आयुक्त को भेजी

जाएगी। चयनित राह-वीर (गुड समेरिटन) के लिए भुगतान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

- एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार राह-वीर (गुड समेरिटन) का पुरस्कार दिया जा सकता है।
- प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथि तक, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्य स्तरीय निगरानी समिति वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए तीन सर्वाधिक योग्य प्रस्तावों को मंत्रालय के समक्ष आगे विचार हेतु नामित करेगी।
- अपर सचिव/ संयुक्त सचिव (सड़क सुरक्षा) की अध्यक्षता में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मूल्यांकन समिति, जिसमें निदेशक/उप सचिव (सड़क सुरक्षा), निदेशक/ उप सचिव (परिवहन) और उप वित्तीय सलाहकार भी शामिल होंगे, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ दस राह-वीरों (गुड समेरिटन) का चयन करेगी। प्रत्येक को ₹ 1,00,000/- के साथ एक प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।
- राह-वीर (गुड समेरिटन) द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की गई जानकारी का उपयोग केवल योजना के अंतर्गत पुरस्कार के प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। साथ ही, जो राह-वीर (गुड सेमेरिटन) अपनी जानकारी देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

योजना समय-सीमा:

यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि पूरी होने तक अर्थात 31 मार्च, 2026 तक चालू रहेगी।

राह-वीर बनें

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करें। अगर पीड़ित को महत्वपूर्ण प्रथम घंटे (गोल्डन ऑवर) के भीतर अस्पताल पहुँचाया जाए, तो कई जानें बचाई जा सकती हैं।

गुड समेरिटन नियमावली, 2020 पर संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य:

कानूनी और प्रक्रियात्मक परेशानियों से बिना डरे दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए लोगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देना।

गुड समेरिटन के प्रमुख अधिकार:

- सम्मानपूर्वक और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाएगा।
- सहायता करने के बाद जाने की स्वतंत्रता; इसमें शामिल रहने की कोई बाध्यता नहीं।
- जब तक वे स्वयं न चाहें, व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं।
- गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही वे स्वेच्छा से अपनी जानकारी साझा करें।

ज़िम्मेदारियाँ और प्रक्रियाएँ:

- अस्पताल में भर्ती करने या चिकित्सा लागत के लिए उत्तरदायी नहीं।
- अस्पताल को उन गुड समेरिटन को मान्यता देनी होगी जो अपनी पहचान साझा करते हैं।

जांच नियम:

- उनकी सुविधानुसार या उनके निवास स्थान पर पूछताछ की जा सकती है।
- पुलिस स्टेशन में केवल तभी उपस्थित हों जब वे सहमत हों।
- प्रत्यक्ष उपस्थिति के बजाय शपथ पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
- दुभाषिया उपलब्ध कराया जाएगा,यदि आवश्यकता हो।

प्रौद्योगिकी का उपयोग:

- असुविधा से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रोत्साहित किया जाए।

जन जागरूकता:

- अस्पताल को हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में गुड समेरिटन अधिकारों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करना होगा।

निष्कर्ष:

यह कानून नागरिकों को उत्पीड़न के डर के बिना दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए सुरक्षा और प्रेरणा प्रदान करके सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

परिवहन भवन, 1 , संसद मार्ग,नई दिल्ली - 110001

www.morth.nic.in MoRTHIndia MoRTHIndia MoRTHIndia MorthIndia